पत्रांक :–3 / यो01–30 / 2024 (उ0शि0) 199/बजट/

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

सुधीर बाड़ा (भा0प्र0से0),
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, रॉची।

रॉची, दिनांक 18/12/2025/

विषयः– **विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग अंतर्गत हजारीबाग जिले के बड़कागॉव विधान सभा क्षेत्र में डिग्री महाविद्यालय, बड़कागॉव के निर्माण कार्य हेतु रू0 33,85,10,300/– (तैतीस करोड़ पचासी लाख दस हजार तीन सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध रू0 15,00,00,000/– (पन्द्रह करोड़ रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।**

प्रसंग – **झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची का पत्रांक – 3092(नि0) दिनांक 01.12.2025**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 195/बजट दिनांक 16.12.2025 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग अंतर्गत हजारीबाग जिले के बड़कागॉव विधान सभा क्षेत्र में डिग्री महाविद्यालय, बड़कागॉव के निर्माण कार्य हेतु रू0 33,85,10,300/– (तैतीस करोड़ पचासी लाख दस हजार तीन सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध रू0 15,00,00,000/– (पन्द्रह करोड़ रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. राशि का विकलन राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष–"मुख्य शीर्ष–2202, उप मुख्य शीर्ष–03–विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा, लघुशीर्ष–102–विश्वविद्यालयों को सहायता, उपशीर्ष–BP-उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष–06– अनुदान, 78–पूॅजी परिसम्पति के सृजन हेतु अनुदान। विपत्र कोड–21S220203102BP010678 (स्कीम कोड–2104) के अंतर्गत होगा।

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव (उच्च शिक्षा), उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, रॉची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या–8448 में जमा करायेंगे।

4. विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के कुलसचिव द्वारा योजना–सह–वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के नियम–339–344 के तहत पी0 एल0 खाता संख्या–8448 से राशि की निकासी कर एक सप्ताह के अन्दर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची को उपलब्ध कराया जायेगा।

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

6. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

8. स्वीकृत्यादेश संख्या 195/बजट दिनांक 16.12.2025 की अन्य शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

16.12.25

(सुधीर बाड़ा)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक–3/यो01–30/2024 (उ0शि0) 199/बजट/रॉंची, दिनांक– 18/12/2025

प्रतिलिपि –महालेखाकार का कार्यालय, झारखण्ड, रॉंची/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉंची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16.12.25

(सुधीर बाड़ा)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक–3/यो01–30/2024 (उ0शि0) 199/बजट/रॉंची, दिनांक– 18/12/2025

प्रतिलिपि –विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉंची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग / लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16.12.25

(सुधीर बाड़ा)
निदेशक, उच्च शिक्षा।